Polity

केंद्राभिमुख संविधान

Art. 1 ⇒ भारत / इंडिया "राज्यों का संघ"

पो० के० सी० हीयर ⇒ भारतीय संविधान अर्द्धसंघीय है।
(Quasi - federal)

सर आइवर जेनिंग्स → यह एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति प्रबल है।

अमेरिकी

↓ भारतीय संघीय / एकात्मक [federal / unitary]

संघात्मक लक्षण (features) → ① लिखित संविधान (Written)
② संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution)
③ शक्तियों का विभाजन [Division of Powers]
④ दोहरी नागरिकता [Dual Citizenship]
⑤ स्वतंत्र न्यायपालिका [Independent]

(यह भारत में नहीं है।)

→ एकात्मक लक्षण [Unitary features]

(1) इकहरी नागरिकता [Single Citizenship]
2) आपातकालीन उपबंध [Emergency provision]
3) राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के कहने पर [Art. 155]
4) अखिल भारतीय सेवायें [Art. 312 → All India Services]

[5] नये राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति (Art. 3)

राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)

सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद तथा नीचे हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। तिरंगा की सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना है
24

There are three horizontal stripes of saffron colour at the top, white in the middle and green at the bottom. The ratio of length and width is 3:2 respectively. There is a dark blue circle in the middle of the white strip of the tricolour

जिसमें 24 तिलियाँ है। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तम्भ सिंह स्तम्भ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया।

which has 24 spokes. This Chakra has been taken from the Ashoka pillar Lion pillar located in Sarnath. On 22 July 1947, the Indian Constituent Assembly adopted the national flag tricolour.

राष्ट्रीय चिन्ह [National Emblem]

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तम्भ के शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किये हुए हैं।

The national emblem of India is a replica of Ashoka's lion pillar located in Sarnath. There are four lions on top of the original pillar, facing each other.

चक्र के दायीं ओर एक साड़ है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बायीं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है।

On the right side of the wheel is a bull, which is a symbol of an agrarian economy. On the left side of the wheel is a horse, which is a symbol of indomitable power, hard work and mobility.

फलक के नीचे मुण्डकोपनिषद् का सूत्रवाक्य 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी, 1950 को अपनाया

मुण्डकोपनिषद्

Below the panel, the aphorism of Mundakopanishad 'Satyameva Jayate' is inscribed in Devanagari Script. The Government of India adopted it as the national emblem on January 26, 1950

राष्ट्रगान (National Anthem)

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप में बंगाल भाषा में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-गन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।

The Hindi Version of 'Jana-Gana-Mana' Originally Composed and written in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted as the national anthem of India by the Constituent Assembly on January 24, 1950.

वह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26 वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेण्ड है।

It was first Sung on 27 December 1911 at the 26th Session of the Indian National Congress in Kolkata. The duration of Singing the national anthem is about 52 Seconds.

राष्ट्र गीत [National Song]

बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12 वें अधिवेशन (कलकत्ता) में

गाया गया था। इसे 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित 'आनन्दमठ' नामक उपन्यास से लिया गया है

Bankim Chandra Chatterjee Composed the Song 'Vande Mataram' in Sanskrit. this Song was first Song in the 12 th session of the Indian National Congress (Calcutta) in 1896. It was adopted as the national Song on January 24, 1950. This Song is taken from the novel 'Anandamath' written in Bengali language.

राष्ट्रीय पशु [National Animal]

बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन् 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम्भ किया गया। इससे पहले 'शेर' राष्ट्रीय पशु था

Tiger is the national Animal of India. In 1973, along with declaring Bengal Tiger as the national animal Project Tiger was started to save tigers in India. Earlier, 'Lion' was the national animal

राष्ट्रीय पंक्षी [National Bird]

भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी सन् 1963 ई० में राष्ट्रीय पंक्षी घोषित किया गया। भारतीय वन एवं प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसका जन्तु वैज्ञानिक नाम - 'पावो क्रिस्टेटस' है।

The Indian peacock is the national bird of India. It was declared the national bird on 26 January 1963. The peacock enjoys full protection under the Indian forest and Wildlife (protection) Act. 1972. Its Scientific name is 'pavo Cristatus'.

राष्ट्रीय पुष्प [National Flower]

कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है।

Lotus is the national flower of India

राष्ट्रीय वृक्ष [National Tree]

बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है।

The banyan has been adopted as the national tree of India

राष्ट्रीय फल [National Fruit]

⇓

आम (Mango)

राष्ट्रीय नदी [National River]

गंगा नदी भारत की सबसे लम्बी नदी है, जो पहाड़ों, वादियों एवं मैदान पर 2525 किमी. की दूरी तय करती है।

इसका उद्भव उत्तराखण्ड के हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है।
Ganga river is the longest river in India, which flows over mountains, valleys and plains covering a distance of 2525 km. It originates from the Gangotri glacier in the Himalayas of Uttarakhand where it is known as Bhagirathi.

राष्ट्रीय मुद्रा : प्रतीक चिन्ह [National Currency : Symbol]

भारतीय रुपये को 15 जुलाई, 2010 को डॉलर, यूरो, पाउण्ड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के 'र' और रोमन लिपि के R को मिलाकर ₹ बनाया गया है। इस प्रतीक के डिजाइनर डी. उदय कुमार है।
The Indian rupee has got a new symbol on July 15, 2010 like the dollar, euro, pound and yen. The new symbol of the rupee has been created by combining the letter 'र' of the Devanagari Script and the letter R of the Roman Script. The designer of this symbol is D. Uday kumar

राष्ट्रीय जलीय जीव [National Aquatic Animal]

मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में 'गंगा डॉल्फिन'

को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था
The freshwater dolphin is the national aquatic animal of India. On 18 May 2010, the ministry of Environment and forests of India dulared the 'Granga Dalphin' as the national aquatic animal of India.

PIL (Public Interest litigation)
↳ जनहित याचिका (Pchition) ↓
लोगों का हित
दायर ⇒ Supreme Court /
⇒ High Court
शुरुआत ⇒ USA
↳ भारत में शुरुआत ⇒ बिहार की भागलपुर जेल में

ex. गांव → गंदगी
लोग — वहाँ — बीमारियां फैल रही
↳ प्रभावित

लोकहित वाद न्यायिक प्रक्रिया का नवीन दृष्टिकोण है। परम्परागत प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था। ऐसी स्थिति में किसी निर्धन या अशिक्षित व्यक्ति के लिए यह सदैव सम्भव था
Public interest litigation is a new approach to the judicial process. According to the traditional process Only the aggrieved person could go to Court to

get justice. In such a situation, it was always possible for a poor or uneducated person

कि वह न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाय 1980 के लगभग आंग्ल विधि के उपरोक्त मत में परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया कि लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संस्था

So that he is deprived of getting justice from the Court. Around 1980, changing the above opinion of English law, the Supreme Court adopted this new view that any person or institution motivated by Public interest

किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है, जो अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है। अतः ऐसे वाद जो लोकहित के संरक्षण के उद्देश्य से न्यायालय में संस्थित किये जाते हैं लोकहित वाद कहलाते हैं।

A person can file a suit in the Court to enforce his Constitutional or legal rights, who is unable to get justice from the Court due to his poverty or any other reason. Therefore such suits which are instituted in the Court for the purpose of protecting public interest are called public interest suits.

लोकहितवाद की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने किया था। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर (बिहार) की जेल में बन्दी रखे गये विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई थी

Public inte.. litigation was initiated by the Supreme Court of the United States. In India. it started with the case of undertrial prisoners kept in Bhagalpur (Bihar) jail.

इनके सम्बन्ध में पुलिस आयोग के सदस्य के. एफ. रुस्तम जी ने एक लेख लिखा था तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी ने इस मामले को अनु. 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था।

जनहित याचिका की जननी

In this regard. police Commission member K.F. Rustam ji had written an article and Advocate Mrs. Hingorani had raised this matter in the Supreme Court under Article 32

भारत में लोकहित वाद को प्रारम्भ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती जो जुलाई 1985 से दिसम्बर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब को जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग [National Human Rights Commission]

10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गयी। इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में अक्टूबर, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

Human rights were declared by the United Nations General Assembly on 10 December 1948. To protect these human rights, the National Human Rights Commission was formed in our Country in October 1993.

यह एक संविधानोत्तर अथवा विधिक संस्था है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 था। इस अधिनियम में वर्ष 2006 के पश्चात पुनः वर्ष 2019 में संशोधन किया गया है। इस आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

It is a post-Constitutional or legal institution. It was formed under an Act passed in the parliament, named protection of Human Rights Act, 1993. This Act has been amended again in the year 2019 after the year 2006. The head office of this Commission is in Delhi.

मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। जिसमें एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होते हैं, उक्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए ऐसे व्यक्ति को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति होने की पात्रता होनी चाहिए।

The human Rights Commission is a multi-member body. It consists of a chairman and five members. To become the chairman of the said Commission, such a person must be eligible to be a retired Chief Justice of India or a justice of the Supreme Court.

मानवाधिकार आयोग ⟹ विधिक संस्था

- स्थापना → Oct. 1993 → 1 अध्यक्ष + 5 अन्य सदस्य
- Head office → नई दिल्ली

अध्यक्ष: Chief justice of S-Court / judge of S-Court

नियुक्ति → राष्ट्रपति ⇓ लेकिन समिति की सिफारिश पर

समिति: 6 सदस्य → PM, गृहमंत्री, Speaker of LS, Chairman of RS, मुख्यविपक्षी दल नेता (LS / RS)

अध्यक्ष + सदस्य → कार्यकाल → 3वर्ष / 70वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

पहले कार्यकाल 5वर्ष / 70वर्ष की आयु था → 2019 में संशोधन द्वारा परिवर्तित)

आधार ← दुराचार (Misbehaviour)
अक्षमता (Incapacity)

→ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है लेकिन S-Court की जांच की रिपोर्ट के आधार पर

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित छः सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री लोकसभाध्यक्ष, 1 राज्यसभा का उपसभापति तथा दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं।

The chairman and members of the Commission are appointed by the president on the recommendation of a Six-member Committee headed by the prime Minister. This Committee Consists of the Prime Minister, Home Minister, Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha (MP PCS: 14) and the leader of the main opposition party of both the houses.

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तक होता है तथा ये पुनः नियुक्त के लिए पात्र होंगे। इन्हें

अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है

The tenure of the Chairman and members of the Commission is 13 years or 70 years, whichever is earlier, and they will be eligible for reappointment. They can be removed from their post only by the president on the basis of misconduct or incapacity after the investigation report of the Supreme Court.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (2021) हैं।

The first Chairman of the National Human Rights Commission was Justice Ranganath Mishra. Its current chairman is Justice Arun Kumar Mishra (2021)